in the electrical appliances such as geysers, iron, mixies, immersion rods and various electrical items which prove fatal in some cases;

(b) whether the existing provisions of the Bureau of Indian Standards Act are inadequate to bring the culprits to book;

(c) if so, whether Government have analysed the issue in order to make the fake ISI mark to be cognizable offence; and

(d) if so, by when an amendment is likely to be brought before Parliament?

THE MINISTER OF AGRICULTURE, MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Some instances of misuse of 'ISI' mark have come to the notice of the Bureau of Indian Standards.

(b) to (d) According to the provisions of BIS Act, 1986, the punishment for use of ISI mark without a valid licence is imprisonment upto one year or fine upto Rs. 50,000 or both. However, the offences under this Act are non-cognizable. A proposal for amending the relevant provisions of BIS Act with a view of making these offences cognizable and making the punishment more stringent is under process.

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी० डी० एस०) के नए प्रयोग का क्रियान्वयन

**4480. श्री शिव चरण सिंह:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नए प्रयोग के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में निगरानी समितियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के निर्माण और कार्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार किस प्रकार निगरानी रखती है; और

(घ) क्या इस व्यवस्था में कोई अवरोध या कठिनाइयां आती हैं?

**कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र):** (क) और (ख) भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपयुक्त रूप में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में कोई निगरानी समिति नियुक्त नहीं की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उचित दर दुकान, तालुक, जिला और राज्य स्तर पर अभिप्रेत लाभभोगियों को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरम की समीक्षा करने हेतु सतर्कता समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षकों तक के जिला/तालुक स्तर के अधिकारियों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं। राज्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारी सचिव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति और कार्य निष्पादन की समीक्षा करने हेतु मासिक बैठकें आयोजित की जाएं। पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी उचित दर दुकानों के कार्यकरण पर पर्यवेक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी दी जानी है।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति और कार्य निष्पादन की मासिक आधार पर समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ खाद्य मंत्रियों, राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठकों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों आदि जैसे विभिन्न मंचों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करती है। केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्कीम के उपयुक्त रूप में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों का फील्ड दौरा करते हैं।

(घ) अब तक प्रणाली में कोई कठिनाई या बाधा नहीं आई है।